न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—434 / 2016 / 223 (2016 / 00434)

1. शिवलाल पुत्र कजोड, जाति मीणा, नि0 ग्राम मोडी, तह0 सावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, दिनांक 18.12.2015 अंतर्गत वाद संख्या 169 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश कुमार, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—29.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 88, 92—ए व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 865 रकबा 0.24 है0 भूमि पर वादी कदीमी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2015 द्वारा वादी / अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट कदीमी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांट विवादित भूतमि पर होने वाली काश्त से अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अपीलांट के पास इस भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने दिनांक 28.3.2003 को वादी के पक्ष में खसरा नंबर 865 रकबा 0.04 है0 भूमि पर कुआं नियमन के आदेश प्रदान किये थी जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है । अपीलांट पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त

करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राजकीय भूमि है अपीलांट ने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी की घोषण चाही है जो नहीं दी जा सकती है । । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी अधिवक्ता ने अपीलांट को नहीं दी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.9.2016 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का ने बताया कि उसका दावा खारिज हो चुका है तब अपीलांट ने निर्णय की जानकारी कर, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है । अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है । नियमों में कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में वादी का वाद कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के संबंध में खारिज करते हुए तहसीलदार, सावर को यह निर्देश दिये है कि यदि वाद का पुराना कब्जा काश्त होने से राज्य सरकार की एवं कृषि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत वाद ग्रस्त भूमि पर वादी का पुराना कब्जा होने के बाबत् पूर्ण जांच करे एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में मामला नियमन योग्य पाया जाता है तो वादी का प्रकरण सक्षम अधिकारी को भिजवाये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखा जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर